रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD NO D L-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 11, 2011/कार्तिक 20, 1933

No. 611] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 11, 2011/KARTIKA 20, 1933

परमाणु ऊर्जा विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2011

सा.का.नि. 804(अ).—केन्द्रीय सरकार नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 (2010 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: -

अध्याय I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों को नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व नियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ के संबंध में अन्यथा रूप में अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" से नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 (2010 का 38) अभिप्रेत है;

(ख) "प्रपत्र" से इन नियमो के साथ संलग्न प्रपत्र अभिप्रेत है;

(ग) "बीमाकर्ता" से वह बीमा कंपनी अभिप्रेत है जिसने उस घटना के घटित होने के समय नाभिकीय घटना से जुड़ी नाभिकीय संस्थापना को बीमाकृत किया था और उसमे वह व्यक्ति शामिल है जिसने अधिनियम के अंतर्गत प्रचालक के दायित्व का जोखिम ग्रहण करने के लिए वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध करायी है;

(घ) "कानूनी प्रतिनिधि" से वही अर्थ होगा जो इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) की धारा 2 के खंड (11) में दिया गया है।

(ङ) "दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण" से वह दावा आयुक्त अथवा आयोग अभिप्रेत है जिसके क्षेत्राधिकार में अधिनियम के अंतर्गत नाभिकीय घटना आती है;

(2) इसमें उपयोग में लाए गए जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में जिनको परिभाषित किया गया है, तो उनसे वही अभिप्रेत होगा जो क्रमश: उनके लिए अधिनियम में दिया गया है।

अध्याय II

बीमा एवं वित्तीय प्रतिभूति

3. बीमा पॉलिसी और वित्तीय प्रतिभूति.- (1) प्रचालक अधिनियम की धारा 8 के अनुसार एक बीमा पॉलिसी अथवा वित्तीय प्रतिभूति अथवा दोनों उपलब्ध करायेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट वित्तीय प्रतिभूति अप्रतिसंहरणीय होगी और रिएक्टर क्रोड से भुक्तशेष ईंधन को हटाने के बाद नाभिकीय संस्थापना के भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल से भुक्तशेष ईंधन को पूरी तरह से हटा लिये जाने तक जारी रहेगी।

(3) शेयर अथवा बंधपत्र अथवा वित्तीय प्रतिभूति संबंधी लिखत केन्द्रीय सरकार के पास गिरवी रखी जाएगी और वह संयंत्र को डिकमीशन किये जाने तक उसी रूप में गिरवी रहेगी और गिरवी की अवधि के दौरान प्रतिभूति के अनुपात को 1:1.33 पर कायम रखा जाएगा, और इस रूप में परिकलित प्रतिभूति में कोई गिरावट आने की स्थिति में प्रचालक द्वारा बीमा अथवा अतिरिक्त वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराके कमी को तत्काल पूरा किया जाएगा।

(4) इस नियम की कोई भी बात प्रचालकों के किसी समूह को तापीय मेगावाट में उनकी व्यक्तिगत स्थापित क्षमता के अनुपात में ऐसी प्रतिभूति के प्रति अंशदान हेतु वित्तीय प्रतिभूति उपलब्ध कराने हेतु कोई संयुक्त व्यवस्था करने से वंचित नहीं करेगी।

(5) इस नियम के प्रावधान केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाली नाभिकीय संस्थापनाओं पर लागू नहीं होंगे।

अध्याय III

नाभिकीय घटना की रिपोर्ट करना

4. नाभिकीय घटना की रिपोर्ट करना .- (1) प्रचालक अपनी नाभिकीय संस्थापना में अथवा नाभिकीय पदार्थ के परिवहन के दौरान घटी किसी नाभिकीय घटना की रिपोर्ट तत्काल निम्नलिखित को करेगा -

(i) केन्द्रीय सरकार;

(ii) उस बीमाकर्ता को जिसके पास इस अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत नाभिकीय संस्थापना का बीमा करवाया गया है; और

(iii) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यदि नाभिकीय संस्थापना उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है, उस पद्धति के अनुसार जोकि बोर्ड आदेश द्वारा इसके लिए विनिर्दिष्ट करे।

(2) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न आने वाली किसी नाभिकीय संस्थापना के प्रचालक से उप नियम (1) के अंतर्गत रिपोर्ट प्राप्त होने पर केन्द्रीय सरकार उसकी पुनरीक्षा करेगी और अपनी टिप्पणियां और रिपोर्ट परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को भेजेगी।

(3) परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड इस नियम के अंतर्गत प्राप्त रिपोर्ट की पुनरीक्षा करेगी और अधिनियम की धारा 3 के अनुसार नाभिकीय घटना को अधिसूचित करेगी।

5. अनुज्ञापन (लाइसेंसिंग) प्राधिकारी को रिपोर्ट करना.- (1) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण, अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित नाभिकीय घटना के परिणामस्वरूप जैसे ही कोई दावा दाखिल किया जाता है, परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) की धारा 14, 16 और 17 के अंतर्गत यथा प्रयोज्य अनुज्ञापन प्राधिकारियों को प्रपत्र "क" में निदेश जारी करेगा।

(2) अनुज्ञापन प्राधिकारी, जिसे उप नियम (1) के अंतर्गत निदेश जारी किया गया हो, ऐसे निदेश के प्राप्त होने की 10 दिनों की अवधि के भीतर प्रचालक के लाइसेंस के संबंध में प्रपत्र 'ख' में एक विस्तृत रिपोर्ट दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय IV

दावे का अधिनिर्णयन

6. क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन पत्र.- (1) नाभिकीय क्षति के लिए क्षतिपूर्ति हेतु दावे का आवेदन पत्र प्रपत्र 'ग' में निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा-

(क) वह व्यक्ति जिसे चोट लगी हो; अथवा
(ख) उस संपत्ति का मालिक जिसकी संपत्ति क्षतिग्रस्त हुई हो; अथवा
(ग) मृत व्यक्ति के प्रतिनिधि; अथवा
(घ) ऐसे किसी व्यक्ति अथवा मालिक अथवा कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत रूप से प्राधिकृत कोई अभिकर्ता (एजेंट)

बशर्ते कि यदि मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा क्षतिपूर्ति के लिए एक साथ आवेदन न किया गया हो, तो मृतक के सभी कानूनी प्रतिनिधियों और कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से अथवा उनके लाभ के लिए आवेदन किया जाएगा अथवा जो इस रूप में उसमें शामिल नहीं हुए हैं उन्हें आवेदन में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया जाएगा।

(2) नाभिकीय क्षति के लिए क्षतिपूर्ति के प्रत्येक आवेदन के साथ प्रतिवादियों की संख्या के बराबर उस दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण की जरूरत के अनुसार उसकी प्रतियां उपलब्ध करायी जायेंगी जिसे उस मामले में अधिनिर्णयन की अधिकारिता प्राप्त है।

(3) ऐसे प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न किए जाएंगे-

(क) आवेदक द्वारा इस संबंध में दिया गया शपथ-पत्र कि आवेदन में उल्लिखित तथ्यों के विवरण उसकी जानकारी अथवा विश्वास के अनुसार सही हैं और इसके अतिरिक्त यदि आवेदक ने इसी के लिए पहले किसी दावे हेतु कोई आवेदन किया है, और यदि ऐसा है तो उसका क्या निष्कर्ष था;

(ख) आवेदक अपने दावे के संबंध में जिन तथ्यों पर निर्भर करता है, उनके प्रमाण स्वरूप सभी दस्तावेज और उनके समर्थन में शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा, जो उक्त के संबंध में तैयार दस्तावेजों एवं शपथ-पत्रों की सूची में प्रविष्ट होगा;

IndiaCode

बशर्ते कि दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण आवेदक को अपने दावे, किसी दस्तावेज अथवा शपथ-पत्र के समर्थन में, जिसे आवेदन के साथ दाखिल न किया गया हो, को विश्वसनीय मानने की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक कि वह स्वयं इसका समाधान नहीं कर लेगा कि किसी अच्छे और उपयुक्त कारण की वजह से उस दस्तावेज अथवा शपथ-पत्र को पहले दाखिल नहीं किया जा सका;

(ग) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण के समाधान के लिए आवेदक की पहचान का प्रमाण, जब तक कि उसके द्वारा उसे लिखित रूप में दर्ज कारणों से ऐसा करने से छूट न मिली हो ;

(घ) वकील द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित आवेदक का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ;

(ङ) चोटों अथवा उनके प्रभावों के संबंध में चिकित्सा प्रमाण पत्र,

(4) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण आवेदक से यह अपेक्षा भी कर सकेगा कि वह निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करे ताकि वह इस बात का समाधान कर सके कि प्रस्तुत किया गया दावा गलत अथवा जाली नहीं है;

(क) पूर्व में घटित सभी नाभिकीय घटनाओं का पूर्ण विवरण जिसमें आवेदक अथवा मृत व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, शामिल रहा हो;
(ख) पूर्व में घटित ऐसी नाभिकीय घटनाओं में दी गई क्षतिपूर्ति की राशि, पीड़ित व्यक्तियों के नाम तथा विवरण, और उस व्यक्ति का नाम जिसने क्षति के लिए क्षतिपूर्ति का भुगतान किया हो; और
(ग) खंड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों का यदि आवेदक के साथ कोई संबंध हो।

(5) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण किसी आवेदन की जांच करने के बाद उसमें कोई कमी पाये जाने की स्थिति में उसे वापिस लौटा सकेगा और वह आवेदन पत्र विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, जो 15 दिन से अधिक की नहीं होगी, कमियों को दूर करने के बाद पुन: प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(6) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण क्षतिपूर्ति के प्रत्येक आवेदन को इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए एक उपयुक्त रजिस्टर में अलग से दर्ज करेगा।

7. विरोधी पक्षकारों को नोटिस देना: दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण नियम 6 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर जब तक कि उक्त नियम के उप-नियम (5) के अंतर्गत उसमें कोई कमी न पाई जाए विरोधी पक्षकारों को उस तारीख की सूचना देगा जिस तारीख को वह आवेदन पर सुनवाई करेगा और उनको उस तारीख को लिखित वक्तव्य दाखिल करने के लिए बुलाएगा।

8. दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करना.- दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण विरोधी पक्षकारों को सुनवाई के लिए नोटिस भेजने के साथ-साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति नि:शुल्क उपलब्ध कराएगा, नामत :-

(i) क्षतिपूर्ति के लिए आवेदन;
(ii) आवेदक द्वारा नियम 6 के अंतर्गत दाखिल किए गए दस्तावेज और शपथ-पत्र;
(iii) आवेदक द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेज, जिन पर वह निर्भर करता है;

बशर्ते कि यदि दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण को इस बात का समाधान हो गया है कि ऐसा कोई दस्तावेज बहुत ही बड़ा है, तो वह उसकी प्रति विरोधी पक्षकारों को भेजने की बजाय, नोटिस के निचले भाग में यह पृष्ठांकन करेगा कि उन्हें या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अपने किसी प्राधिकृत व्यक्ति के माध्यम से उन दस्तावेजों का निरीक्षण करने की ही अनुमति होगी।

9. आवेदक की पड़ताल करना.- दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण नियम 6 के अंतर्गत आवेदन प्राप्त होने पर, आवेदक को शपथ दिलाकर उसकी पड़ताल करेगा और यदि ऐसी किसी पड़ताल का कोई सार होगा तो उसे लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा।

10. पक्षकारों की हाजिरी और पड़ताल.- (1) विरोधी पक्षकार पहली सुनवाई पर अथवा उससे पहले अथवा दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा आगे अनुमत समय के भीतर आवेदन में किए गए दावे के संबंध में लिखित विवरण दाखिल करेगा और ऐसा लिखित विवरण रिकॉर्ड का एक भाग होगा।

(2) विरोधी पक्षकार अपने लिखित विवरण के साथ उसके सबूत स्वरूप सभी दस्तावेज और शपथ-पत्र तथा अपनी प्रतिरक्षा के संदर्भ में आवेदन पत्र में उल्लिखित उन सभी तथ्यों के समर्थन में, जिन पर वह निर्भर है, शपथ-पत्र भी दाखिल करेगा, जिन्हें उपयुक्त रूप से तैयार की गई दस्तावेजों और शपथ-पत्रों की सूची में विधिवत रूप से शामिल किया जाएगा और आवेदक को लिखित विवरण, दस्तावेज़ों और शपथ-पत्रों की प्रतियां उपलब्ध कराएगा।

(3) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण विरोधी पक्षकार को अपनी प्रतिरक्षा के समर्थन में लिखित विवरण के साथ ऐसा कोई दस्तावेज अथवा शपथ-पत्र दाखिल करने की अनुमति तब तक प्रदान नहीं करेगा जब तक कि वह इसका समाधान नहीं कर लेता कि किसी अच्छे और उपयुक्त कारण की वजह से उसे ऐसे दस्तावेज अथवा शपथ-पत्र को दाखिल करने से निवारित किया गया था।

(4) यदि विरोधी पक्षकार किसी दावे का विरोध करता है, और यदि कोई लिखित वक्तव्य दाखिल नहीं किया गया है तो दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण, दावे के मामले में उसकी पड़ताल करेगा और लिखित रूप में पड़ताल का सार तैयार करेगा।

(5) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण विरोधी पक्षकारों से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है नामत::-

(क) पूर्व में घटित उन सभी नाभिकीय घटनाओं का पूर्ण विवरण जिनमें वह पक्षकार शामिल था और जिनमें दावा पूर्ण अथवा आंशिक रूप में प्रदान किया गया है।

(ख) पूर्व में घटित ऐसी दुर्घटनाओं में क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई राशि, पीड़ितों और उन व्यक्तियों के नाम और पते जिन्होंने क्षति के लिए भुगतान किया; और

(ग) खंड (ख) में उल्लिखित व्यक्तियों का यदि विरोधी पक्षकार के साथ कोई संबंध हो।

11. दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा संक्षिप्त प्रक्रिया.- दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण सुनवाई के लिए लंबित मामले में कार्रवाई करने से पूर्व, क्षतिपूर्ति के लिए दावा निर्धारित करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XXXVII में यथानिर्धारित रूप में मामलों की सुनवाई से संबंधित संक्षिप्त प्रक्रिया को अपना सकेगा।

12. स्वास्थ्य परीक्षा के लिए निदेश देने की शक्ति.- दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण यदि किसी मामले में आवश्यक समझे तो वह चोटिल व्यक्ति की जांच करने के लिए किसी सरकारी अथवा नगर निगम अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी अथवा चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड को प्रपत्र "घ" में निदेश जारी कर सकेगा और नाभिकीय घटना के परिणामस्वरूप यदि उसे कोई चोट पहुंची है तो वह उस चोट की मात्रा और अपंगता की स्थिति को दर्शाते हुए उसे एक प्रमाण पत्र जारी करने का निदेश दे सकेगा और ऐसे चिकित्सा अधिकारी अथवा बोर्ड की यह ड्यूटी होगी कि वह उस निदेश के प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

13. विवाद्यकों का विरचन - आवेदन पत्र, लिखित वक्तव्यों, पक्षकारों की जांच यदि कोई की गई हो, और यदि कोई स्थानीय निरीक्षण किया गया हो तो उसके निष्कर्षों पर विचार करने के बाद, दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण आवेदन की पहली सुनवाई में उन विवाद्यकों का विरचन और रिकॉर्ड करने की कार्रवाई प्रारंभ करेगा जिन पर इस मामले का निर्णय होना उसे निर्भर प्रतीत होता है।

14. विवाद्यकों का निर्धारण.- (1) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण यदि किसी विवाद्यक को विचारणीय पाता है तो विवाद्यक के विरचन के बाद वह आवेदन पर निर्णय लेने की कार्रवाई करेगा और दोनों पक्षकारों और उनके द्वारा दाखिल किए गए शपथ पत्रों और अभिसाक्षियों को, आवेदन पत्र एवं लिखित वक्तव्य के साथ दाखिल ऐसे शपथ पत्रों हेतु एक दूसरे की प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति देगा और ऐसा करते समय वह सिविल प्रकिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के आदेश XIX के प्रावधानों का अनुसरण करेगा।

(2) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण को किसी मामले में न्याय संगत निर्णय लेने के लिए आवश्यक प्रतीत होता है तो वह दोनों पक्षकारों को ऐसे और साक्ष्य देने की अनुमति प्रदान करेगा जिन्हें वे प्रस्तुत करने के इच्छुक होंगे।

बशर्ते कि ऐसा और कोई अवसर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि यह प्रदर्शित नहीं हो जाता कि पहले यथोचित तत्परता बरतने के बावजूद, जिस साक्षी के शपथ पत्र की जांच करने की मांग की जा रही है उसे पहले प्राप्त और दाखिल नहीं किया जा सका था अथवा ऐसा कोई साक्ष्य उस समय पक्षकार की जानकारी में नहीं था जिस पर वह निर्भर करता।

15. साक्ष्यों की उपस्थिति के लिए व्यय.- दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण प्रचालक को सम्मन पर बुलाए गए साक्षियों के व्यय का वहन करने का निदेश देगा।

16. साक्ष्य रिकॉर्ड करने की पद्धति.- दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण साक्षियों की जांच करने के दौरान प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के सार का एक संक्षिप्त ज्ञापन तैयार करेगा और ऐसा ज्ञापन दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा लिखा और हस्ताक्षर किया जाएगा तथा वह साक्ष्य का एक भाग होगा;

बशर्ते कि किसी विशेषज्ञ साक्षी का साक्ष्य शब्दश: रिकॉर्ड किया जाएगा।

17. अनुपूरक सूचना और दस्तावेजों को प्राप्त करना : दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण चिकित्सा तथा अन्य प्राधिकारियों से जैसा भी आवश्यक समझेगा अनुपूरक सूचना और दस्तावेज प्राप्त करेगा और दावे के संबंध में अधिनिर्णयन के लिए कार्रवाई प्रारंभ करेगा, भले ही जिन पक्षकारों को नोटिस दी गयी थी वे नियत तारीख पर उपस्थित हों अथवा नहीं।

18. क्षतिपूर्ति संबंधी पंचाट.- (1) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण आदेश पारित करते समय अपने निर्णय में संक्षिप्त रूप में विरचित प्रत्येक विवाद्यक के निष्कर्षों और ऐसे निष्कर्षों के कारणों का उल्लेख करेगा और दूसरे पक्षकार अथवा दोनों पक्षकारों द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाने वाली राशि तथा जिस व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति की वह राशि दी जानी है, का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए पंचाट जारी करेगा।

(2) किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में संवितरित की जाने वाली राशि के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को एक तरफ रखते हुए, दायित्व और क्षतिपूर्ति के लिए पंचाट की प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी और जहां दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण यह महसूस करता है कि मृत व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान करने और उनका निर्धारण करने की वजह से दावेदार को वास्तविक भुगतान करने में कुछ समय लगने की संभावना है तो दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण क्षतिपूर्ति के पंचाट के रूप में उसके पास जमा की जाने वाली राशि की मांग कर सकता है और तत्पश्चात प्रत्येक कानूनी उत्तराधिकारी को क्षतिपूर्ति की राशि साम्यापूर्वक संवितरित करने के लिए कानूनी उत्तराधिकारियों की पहचान करने की कार्रवाई प्रारंभ करेगा।

19. दावेदारों के हित को सुरक्षित रखना.- (1) जहां दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण के पास कोई एकमुश्त राशि किसी महिला को देने के लिए जमा की गई की गई हो तो, ऐसी राशि का उपयोग दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा यथानिर्देशित पद्धति के अनुसार उस महिला के लाभ के लिए, उस रूप में ऐसी महिला के किसी आश्रित अथवा उत्तराधिकारियों को भुगतान किये जाने के लिए किया जाय जो उसकी दृष्टि में उस महिला अथवा उसके उत्तराधिकारियों के कल्याण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो।

(2) जहां दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण के पास कोई एकमुश्त राशि किसी कानूनी रूप से अपंग व्यक्ति को देने के लिए जमा की गई की गई हो तो, ऐसी राशि का उपयोग दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा यथानिर्देशित पद्धति के अनुसार कानूनी रूप से अपंग उस व्यक्ति के लाभ के लिए, उस रूप में ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी आश्रित अथवा उत्तराधिकारियों को भुगतान किये जाने के लिए किया जाय जो उसकी दृष्टि में कानूनी रूप से उस अपंग व्यक्ति अथवा उसके उत्तराधिकारियों के कल्याण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो।

(3) जहां इस संबंध में अथवा अन्यथा रूप में दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण के पास कोई आवेदन प्रस्तुत किया गया है और दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण को इस बात का समाधान हो गया है कि माता-पिता की वजह से अथवा किसी आश्रित की परिस्थितियों में बदलाव आने की वजह से अथवा अन्य किसी पर्याप्त कारण की वजह से बच्चों की देखरेख पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है तो उस स्थिति में दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण आदेश जारी करके ऐसे किसी आश्रित को दी जाने वाली राशि, जो उसके द्वारा निर्धारित की जाएगी, क्षतिपूर्ति के रूप में अथवा दी जाने वाली राशि को निवेश करने अथवा अन्यथा अन्य किसी प्रयोजन में उसका उपयोग करने के संबंध में आदेश जारी करेगा। दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण पूर्व आदेशों को बदलने के लिए, जैसी भी मामले की परिस्थितियां होंगी उसके लिए उचित समझकर आगे और आदेश जारी कर सकेगा।

(4) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण किसी नाबालिग के मामले में यह आदेश जारी करेगा कि ऐसे नाबालिग को पंचाट के रूप में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि सावधि जमा के अंतर्गत तब तक निवेश कर रखी जाए जब तक कि वह नाबालिग वयस्क की आयु नहीं प्राप्त कर लेता।

बशर्ते कि उसके अभिभावक अथवा निकटतम मित्र द्वारा इस संबंध में व्यय की जा रही राशि को, उस अभिभावक अथवा निकटतम मित्र द्वारा वह राशि जमा करने से पूर्व निकालने की अनुमति हो।

(5) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण अशिक्षित दावेदारों के मामले में यह आदेश जारी करेगा कि पंचाट के रूप में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि सावधि जमा के अंतर्गत कम से कम तीन वर्षों के लिए निवेश की जाए, लेकिन यदि दावेदार की आय में सुधार के लिए किसी चल अथवा अचल संपत्ति की खरीद करने की आवश्यकता हो, तो उस मामले में दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण इस बात का

समाधान कर लेने के बाद कि उक्त प्रयोजन के लिए वास्तविक रूप में वह राशि व्यय की जाएगी, ऐसे अनुरोध पर विचार कर सकेगा।

(6) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण अर्धशिक्षित व्यक्ति के मामले में भी उप-नियम (4) में निर्धारित पंचाट राशि को जमा करने के लिए उसी प्रक्रिया का अनुसरण तब तक नहीं करेगा जब तक कि वह इस बात का समाधान न कर ले कि लिखित रूप में बताए गये कारणों से किसी मौजूदा कारोबार का विस्तार करने अथवा विनिर्दिष्ट किसी संपत्ति की खरीद करने के लिए और जिसका उल्लेख उक्त उप-नियम के अंतर्गत किया गया है, वह जरूरी है और ऐसे मामले में दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि यह राशि उसी प्रयोजन हेतु निवेश की जाती है जिसके लिए प्रार्थना की गई थी और उसका भुगतान किया गया था।

(7) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण शिक्षित व्यक्तियों के मामले में भी (4) और (5) में विनिर्दिष्ट पंचाट के रूप में दी गई राशि को जमा करने के लिए उस प्रक्रिया का अनुसरण तर्भा करेगा जब उस व्यक्ति की आयु, वित्तीय पृष्ठभूमि और सामाज़िक स्थिति और अन्य ऐसे किसी क. ग की वजह से, दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण दावेदार के हित में और पंचाट के रूप में दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की राशि की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसा कोई कदम उठाना आवश्यक समझेगा।

(8) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण को यदि इस बात का समाधान हो गया है कि किसी व्यक्तिगत चोट के मामले में आगे उपचार करने की आवश्यकता है तो वह उस उपचार के खर्च के लिए जितनी राशि आवश्यक होगी उसे निकालने की अनुमति लिखित रूप में रिकॉर्ड करेगा।

(9) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण दावेदार को आवधिक आय के माध्यम से अधिकतम राशि उपलब्ध कराने की दृष्टि से, वह राशि किसी राज्य अथवा केन्द्र सरकार के सरकारी क्षेत्र के ऐसे उपक्रम में ज़मा करेगा जोकि उच्चतर दर पर ब्याज देता हो।

(10) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण उन संस्थानों को जहां राशि जमा की जाएगी, निवेश की गई राशि पर मिलने वाले ब्याज को दावेदारों को सीधे देने अथवा नाबालिग दावेदार के अभिभावक को देने के संबंध में निदेश जारी करेगा जिसकी सूचना वे संस्थान दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण को देंगे।

20. दावे के अधिनिर्णयन से संबद्ध व्यक्ति.- (1) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण उसके समक्ष दाखिल किए गए किसी दावे के संबंध में निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ नाभिकीय क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त एक या एक से अधिक व्यक्तियों अथवा ऐसी जांच करने और दावे के संबंध में अधिनिर्णयन देने के लिए सहायता करने हेतु जांच के अधीन दावे से संगत किसी मामले में ऐसे किसी व्यक्ति का चयन करेगा जिसे इस बारे में विशेष ज्ञान हो।

(2) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण के साथ उप-नियम (1) के अंतर्गत संबद्ध किए गए व्यक्ति को वही पारिश्रमिक दिया जाएगा जो दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी करके निर्धारित किया जाएगा।

21. कानूनी प्रैक्टिशनर की हाजिरी.- दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण अपने विवेक से किसी भी पक्षकार को कानूनी प्रैक्टिशनर के माध्यम से अपने समक्ष हाजिर होने की अनुमति दे सकेगा।

22. सुनवाई का स्थगन.- यदि दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण यह पाता है कि किसी आवेदन पत्र का निपटान एक सुनवाई में नहीं किया जा सकता है तो वह उन कारणों को रिकॉर्ड करेगा जिनकी वजह से स्थगन करने की आवश्यकता पड़ी और सुनवाई के स्थगन की तारीख को हाजिर पक्षकारों को भी इनकी सूचना देगा।

23. क्षतिपूर्ति की रसीद .- दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण राशि का भुगतान करते समय दावेदार से दो प्रतियों में रसीद प्राप्त करेगा, एक प्रति उस व्यक्ति को जारी की जाएगी जिसने राशि का भुगतान किया है और दूसरी प्रति रिकॉर्ड के लिए रखी जाएगी।

अध्याय V

अवलंबन का अधिकार

24. अवलंबन का अधिकार.- (1) अधिनियम की धारा 17 के खंड (क) के अंतर्गत निर्दिष्ट संविदा में अवलंबन के अधिकार का प्रावधान किया जाएगा जोकि अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रचालक के दायित्व अथवा संविदा के मूल्य, दोनों में जो भी न्यूनतम हो, के बराबर होगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अवलंबन के अधिकार का प्रावधान, परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 के अंतर्गत जारी प्रारंभिक लाइसेंस की अवधि अथवा उत्पाद के दायित्व अवधि, जो भी अधिक होगी, के लिए होगा।

स्पष्टीकरण 1: इस नियम के प्रयोजनार्थ, अभिव्यक्तियां,-

(क) 'उत्पाद दायित्व अवधि' से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके लिए आपूर्तिकर्ता ने संविदा के अंतर्गत पेटेंट अथवा लेटेंट दोषों अथवा घटिया सेवाओं की जिम्मेदारी लेने की वचनबद्धता व्यक्त की है;

(ख) "आपूर्तिकर्ता" में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:-

(i) जो कार्यात्मक विनिर्देश के आधार पर प्रत्यक्ष रूप में अथवा अभिकर्ता (एजेंट) के माध्यम से किसी प्रणाली, उपस्कर अथवा घटक का विनिर्माण और इसकी आपूर्ति करता है अथवा किसी संरचना का निर्माण करता है; अथवा

(ii) जो प्रणाली, उपस्कर अथवा घटक का विनिर्माण करने अथवा संरचना निर्मित करने के लिए विक्रेता को मुद्रण के लिए तैयार (बिल्ड टू प्रिंट) अथवा विस्तृत डिजाइन विनिर्देश उपलब्ध कराता हो और डिजाइन तथा गुणवत्ता आश्वासन के लिए प्रचालक के प्रति उत्तरदायी हो; अथवा

(iii) जो गुणवत्ता आश्वासन अथवा डिजाइन संबंधी सेवा प्रदान करता हो।

स्पष्टीकरण 2: किन्हीं शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस नियम के अंतर्गत प्रचालक का दावा ऐसे दावे को दाखिल करने की तारीख तक उसके द्वारा भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की वास्तविक राशि से अधिक का नहीं होगा।

अध्याय VI

विविध

25. रजिस्टर.- (1) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा, नामत:-

(क) नाभिकीय क्षति हेतु क्षतिपूर्ति के दावे हेतु आवेदन पत्र का रजिस्टर;

(ख) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा पक्षकारों को जारी किये जाने वाले नोटिसों हेतु रजिस्टर;

IndiaCode

4109 GI/2011—2

(ग) अंतरिम पंचाट हेतु आवेदन पत्रों के लिए रजिस्टर;
(घ) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण के पास भुगतान के जमा हेतु रजिस्टर; तथा
(ङ) प्रतिदिन की कार्यवाहियों हेतु डायरी जिसे 'डायरी' के रूप में जाना जाएगा।

(2) मृत्यु, स्थायी अपंगता, चोट और संपत्ति की क्षति के आधार पर क्षतिपूर्ति के लिए आवेदनों की प्रविष्टि एक अलग रजिस्टर में की जाएगी जिसे "मृत्यु, अपंगता आदि के मामले में क्षतिपूर्ति हेतु आवेदन पत्रों का रजिस्टर" के नाम से जाना जाएगा।

26. रिकॉर्डों की अभिरक्षा और संरक्षण.- क्षतिपूर्ति के मामलों से संबंधित दस्तावेजों और रिकॉर्डों को नाभिकीय घटना के घटित होने की तारीख से 35 वर्षों की अवधि के लिए रिकॉर्ड रूम में संरक्षित रखा जाएगा।

27. कर्मचारी.- दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अदालत के लिए दिए गए कर्मचारी के बराबर कर्मचारी उपलब्ध कराये जाएंगे।

28. दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तें और वेतन तथा भत्ते.- (1) अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नियुक्त किया गया आयोग का अध्यक्ष [illegible] उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष वेतनमान में वेतन तथा भत्ते तब तक पाने का हकदार होगा जब तक कि वह आयोग के अध्यक्ष के रूप में सेवारत रहेगा।

(2) अधिनियम की धारा 20 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नियुक्त किये गये आयोग के सदस्य, आयोग के सदस्य के रूप में अपने सेवाकाल के दौरान भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष वेतनमान में वेतन एवं भत्तों के हकदार होंगे।

(3) अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नियुक्त दावा आयुक्त भारत सरकार के अपर सचिव के समकक्ष वेतनमान में वेतन तथा भत्ते पाने का हकदार होगा।

(4) अन्य अधिकारी और कर्मचारी दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण में अपनी सेवा अवधि के दौरान अपने तत्संबंधी संवर्ग में केन्द्र सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों के समकक्ष पदों के समान वेतनमान में वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(5) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति की आयु ,सेवा निवृत्ति के उपरांत लाभों और उनकी पात्रताओं एवं अनुशासनिक मामलों तथा सेवा संबंधी अन्य शर्तें वही होंगी जो केन्द्र सरकार में समकक्ष पद धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए समय-समय पर लागू होती हैं।

(6) दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाने वाली अन्य सुविधाओं, भत्तों और लाभों को पाने के हकदार होंगे।

29. आयोग का विघटन होने पर अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों का प्रत्यावर्तन एवं स्थानांतरण (1) अधिनियम की धारा 38 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा आयोग का विघटन करने पर जिन कर्मचारियों को उस आयोग में किसी प्राधिकरण अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के कार्यालय से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया गया हो, ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति तत्काल समाप्त हो जाएगी और उन्हें उनके मूल संगठन मे प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

नियुक्त किया गया हो, ऐसे कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति तत्काल समाप्त हो जाएगी और उन्हें उनके मूल संगठन में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट कर्मचारियों के अलावा, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश द्वारा निर्णय किये जाने पर, केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अथवा कार्यालय में स्थानातंरित किया जा सकेगा।

30. वार्षिक रिपोर्ट.- दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा जिसमें वित्त वर्ष के दौरान किए गए कार्यकलापों, उसके पास लंबित दावों, रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान निपटाये गए दावों और ऐसे प्रत्येक वर्ष के अंत में लंबित दावों का पूरा विवरण दिया जाएगा।

प्रपत्र 'क'

[नियम 5 (1) देखें]

दावा आयुक्त /नाभिकीय क्षति दावा आयोग के समक्ष

(---------- द्वारा पीठासीन)

मामले की संख्या:

नाम _____ बनाम_____

विषय: (i) लाइसेंसिंग प्राधिकारी _____द्वारा _____तक के लिए मान्य _____के संबंध में जारी लाइसेंस संख्या _____के पंजीकरण प्रमाण-पत्र का सत्यापन।

सेवा में,

लाइसेंसिंग प्राधिकारी

आदेश

जबकि संबंधित नाभिकीय संस्थापना में तथाकथित नाभिकीय घटना के संबंध में इस दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण के समक्ष क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने के लिए दावा संबंधी उपरोक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है और जिसका विवरण ऊपर दिया गया है,

और जबकि यह बताया गया है कि इस नाभिकीय संस्थापना को आपके नियंत्रणाधीन कार्यालय द्वारा लाइसेंस दिया गया है/पूर्वोक्त लाइसेंस आपके कार्यालय के नियंत्रणाधीन कार्यालय द्वारा जारी किया गया बताया गया है;

IndiaCode

और जबकि परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 (1962 का 33) का अंतर्गत उक्त लाइसेंस से संबंधित रिकॉर्ड को आपके नियंत्रणाधीन उक्त अधिकारी द्वारा बनाये रखना अपेक्षित है;

और जबकि नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 (2010 का 38) की धारा 16 के प्रावधानों के अंतर्गत जांच के प्रयोजनार्थ इस दावा आयुक्त/नाभिकीय क्षति दावा आयोग द्वारा पूर्वोक्त दस्तावेजों के संबंध में आवश्यक ब्यौरे अपेक्षित हैं तथा जो सूचनाएं प्रस्तुत करने हेतु आप बाध्य हैं।

अत: अब आपको एतद्द्वारा निदेश दिया जाता है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर पूर्वोक्त लाइसेंस के संबंध में, इसके समर्थन में दस्तावेजों की प्रतियां, जो आपके द्वारा विधिवत् रूप से सत्यापित की गई हों और जिन पर आपके कार्यालय की मोहर लगी हुई हो, पूर्ण विवरण के साथ इस दावा आयुक्त/नाभिकीय क्षति दावा आयोग के पास जमा करें।

----------के दिन
----------मेरे हस्ताक्षर और मोहर के
अंतर्गत जारी किया गया।

दावा आयुक्त/अध्यक्ष, नाभिकीय क्षति दावा आयोग

प्रपत्र 'ख'

[नियम 5 (2) देखें]

लाइसेंसिंग प्राधिकारी की रिपोर्ट

सेवा में,

महोदय,

यह मामला संख्या ----------नाम----------के संबंध में दिनांक----------के आदेश/आवेदन पत्र के संदर्भ में है। अपेक्षित सूचना नीचे दी गयी है:-

1. प्रचालक का विवरण: सरकारी /अन्य

(क) यदि सरकार है, तो संबंधित विभाग/मंत्रालय का नाम:

(ख) यदि अन्य है तो उसका विवरण-

(i) पंजीकरण संख्या:
(ii) नाभिकीय संस्थापना के प्रचालक का पूरा नाम और पता:
(iii) बीमा संबंधी विवरण:

2. लाइसेंस संबंधी विवरण:

क) लाइसेंस संख्या:
ख) जारी करने / समाप्त होने की तारीख:
ग) लाइसेंसधारक का नाम तथा पता:
घ) जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण:

3. वित्तीय प्रतिभूति का विवरण:

(लाइसेंसिंग प्राधिकारी)

सत्यापित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट मे दिया गया विवरण इस कार्यालय के रिकॉर्ड के अनुसार सही है।

(लाइसेंसिंग प्राधिकारी)

लाइसेंसिंग प्राधिकारी
की मोहर

तारीख:
स्थान

प्रपत्र 'ग'

(नियम 6 (1) देखें)

नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 (2010 का 38) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति की मंजूरी के लिए आवेदन

दावा आयुक्त /नाभिकीय क्षति दावा आयोग के समक्ष

(----------द्वारा पीठासीन)
----------आवेदक

बनाम,

आवेदक
का
फोटोग्राफ

----------प्रतिवादी

महोदय,

अधोहस्ताक्षरी नाभिकीय क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित तथ्यों और सूचना के आधार पर क्षतिपूर्ति की मंजूरी के लिए यह आवेदन प्रस्तुत करता है:-

IndiaCode

1. चोटिल हुए /मृत व्यक्ति का नाम तथा पिता का नाम:
(विवाहित महिला आथवा विधवा के मामले में पति का नाम):
2. चोटिल हुए /मृत व्यक्ति का पूरा पता:
3. चोटिल हुए /मृत व्यक्ति की आयु:
4. चोटिल हुए /मृत व्यक्ति का व्यवसाय:
5. चोटिल हुए /मृत व्यक्ति के नियोजक का नाम तथा पता:
6. चोटिल हुए /मृत व्यक्ति की मासिक आय:
7. क्या वह व्यक्ति जिसके बारे में क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया गया है आयकर अदा करता है? यदि हाँ, तो आयकर की राशि बताएं (दस्तावेजों द्वारा समर्थित हो):
8. नाभिकीय घटना का संक्षिप्त विवरण (स्थान तथा तारीख) और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा जारी की गई अधिसूचना का संदर्भ:
9. चिकित्सा अधिकारी/प्रैक्टिशनर का नाम व पता:
10. उपचार की अवधि और यदि कोई व्यय हुआ हो:
11. नाभिकीय संस्थापना के प्रचालक का नाम तथा पता:
12. क्या प्रचालक/ बीमाकर्ता के पास कोई दावा प्रस्तुत किया गया है, यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला:
13. आवेदक का नाम तथा पता:
14. मृत /चोटिल व्यक्ति के साथ संबंध:
15. मृत /चोटिल व्यक्ति की संपत्ति का नाम:
16. क्षतिपूर्ति के रूप में दावा की गई राशि और उसका आधार:
17. क्या आवेदक द्वारा नियमानुसार प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र संलग्न किया गया है (ब्यौरा दें):
18. क्या नियम 6 में उल्लिखित दस्तावेजों को विधिवत रूप से सूचीबद्ध करके संलग्न किया गया है (ब्यौरा दें):
19. अन्य कोई सूचना जो इस मामले का निपटान करने के लिए आवश्यक और सहायक होगी:

(यदि अंतरिम पंचाट के लिए प्रार्थना की गई है तो इसे भरा जाए)

20. अंतरिम पंचाट के रूप में बतौर दावा की गई क्षतिपूर्ति की राशि:
21. अंतरिम पंचाट का दावा करने का कारण:
22. प्रार्थना:

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

सत्यापन

----------में वर्ष ----------माह ----------के----------दिन को यह सत्यापित किया गया कि उपर्युक्त आवेदन पत्र में दिया गया विवरण मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य तथा सही है।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर

प्रपत्र 'घ'

स्वास्थ्य परीक्षा के लिए निदेश
(नियम 13 देखें)

दावा आयुक्त/नाभिकीय क्षति दावा आयोग के समक्ष

दावा आवेदन संख्या ----------

नाम---------- बनाम ----------

दावेदार का फोटो

सेवा में,

आदेश

जबकि उपर्युक्त दावा आवेदन एक नाभिकीय घटना के संबंध में इन दावा आयुक्त/नाभिकीय क्षति दावा आयोग के समक्ष क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, और दावेदार ----------पुत्र/पुत्री/पत्नी----------आयु ----------के संबंध में ----------जिनका फोटो उनके नमूना हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान सहित ऊपर चिपकाया गया है, को उक्त घटना के परिणामस्वरूप कथित रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें ----------(अस्पताल का नाम) द्वारा तारीख ----------जारी किए गए चिकित्सीय विधि प्रमाण पत्र संख्या ----------में दर्ज किया गया है:

और जबकि दावा आवेदन पत्र की जांच करने के प्रयोजनार्थ, यह दावा आयुक्त/नाभिकीय क्षति दावा आयोग उक्त नाभिकीय घटना के परिणामस्वरूप उक्त दावेदार के किसी अपंगता से ग्रस्त होने के परिमाण की अवस्था और परिसीमा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझते हैं;

अतः, अब इस दावा आयुक्त/नाभिकीय क्षति दावा आयोग, को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपको यह निदेश दिया जाता है कि इस निदेश के प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर अपने अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा उक्त दावेदार की जांच की जाय और इस दावा आयुक्त/नाभिकीय क्षति दावा आयोग को उपर्युक्त पहलुओं के संबंध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय।

----------के ----------दिन को इस दावा आयुक्त/नाभिकीय क्षति दावा आयोग के नाम तथा मोहर के अंतर्गत जारी किया गया

दावा आयुक्त /नाभिकीय क्षति दावा आयोग

IndiaCode

प्रपत्र ङ
(नियम 30 देखें)

दावा आयुक्त/नाभिकीय क्षति दावा आयोग की वार्षिक रिपोर्ट

(1) जिस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट है उसके दौरान किये गये कार्यों का विवरण।

(2) जिस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट है उसके प्रारंभ में अनिर्णित दावों से संबधित विवरण -

(i) मृत्यु के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि
(ii) चोट के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि
(iii) संपत्ति की क्षति के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि

(3) जिस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट है उसके दौरान दाखिल किये गये दावों का विवरण

(i) मृत्यु के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि
(ii) चोट के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि
(iii) संपत्ति की क्षति के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि

(4) जिस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट है उसके दौरान निपटाये गये दावों का विवरण

(i) मृत्यु के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि
(ii) चोट के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि
(iii) संपत्ति की क्षति के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि

(5) जिस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट है उस वर्ष के अंत में अनिर्णित दावों का विवरण

(i) मृत्यु के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि
(ii) चोट के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि
(iii) संपत्ति की क्षति के मामले एवं उनमें अंतर्ग्रस्त राशि

(6) जिस वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट है उस वर्ष के लेखा का विवरण

(7) कोई अन्य सूचना, जिसे देना दावा अधिनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझा जाय।

[सं. 4/4/1/2010-ईआर]
विजय भूषण पाठक, संयुक्त सचिव

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th November, 2011

G.S.R. 804(E).—In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (38 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER I
PRELIMINARY

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Civil Liability for Nuclear Damage Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions. – (1) In these rules, unless the context otherwise requires, -

(a) "Act" means the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (38 of 2010);

(b) "Form" means a form appended to these rules;

(c) "insurer" means the insurance company with which a nuclear installation involved in a nuclear incident was insured at the time of the occurrence of such incident and includes the person who has provided financial security to cover the operator's liability under the Act;

(d) "legal representative" shall have the same meaning as assigned to it in clause (11) of section 2 of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908);

(e) "claims adjudication authority" means the Claims Commissioner or the Commission having jurisdiction under the Act over the nuclear incident.

(2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

IndiaCode

CHAPTER II
INSURANCE AND FINANCIAL SECURITY

3. Insurance policy and financial security. - (1) The operator shall take out an insurance policy or financial security or a combination of both in accordance with section 8 of the Act.

(2) The financial security referred to in sub-rule (1) shall be irrevocable and shall continue till removal of all spent fuel from the spent fuel storage pool of the nuclear installation after removal thereof from the reactor core.

(3) Shares or bonds or instruments constituting financial security shall be pledged to the Central Government and remain so pledged till decommissioning of the plant and a security margin of 1:1.33 be maintained during pledge and in the event of any shortfall in security so calculated shall be immediately made good by the operator by providing insurance or additional financial security to the extent of shortfall.

(4) Nothing in this rule shall prevent a group of operators to enter into a joint arrangement of financial security providing for contribution towards such security in proportion to their individual installed capacity in thermal megawatts.

(5) The provisions of this rule shall not apply to a nuclear installation owned by the Central Government.

IndiaCode

CHAPTER III
REPORT OF NUCLEAR INCIDENT

4. Report of nuclear incident.-(1) The operator shall report immediately the occurrence of a nuclear incident in his nuclear installation or during transportation of nuclear material to –

(i) the Central Government;

(ii) the insurer where the nuclear installation is insured under section 8 of the Act; and

(iii) the Atomic Energy Regulatory Board where such nuclear installation is under its jurisdiction, in the manner as the Board may, by order, specify in this behalf.

(2) The Central Government shall, on receipt of the report under sub-rule (1) from the operator of a nuclear installation, which is not under the jurisdiction of the Atomic Energy Regulatory Board, make a review of the report and forward its observations and report to the Atomic Energy Regulatory Board.

(3) The Atomic Energy Regulatory Board shall review the report received under this rule and notify the nuclear incident in accordance with section 3 of the Act.

5. Report of licensing authority. – (1) The claims adjudication authority shall, as soon as a claim arising out of a nuclear incident notified under section 3 of the Act is filed, issue direction in Form A to the licensing authorities as applicable under sections 14, 16 and 17 of the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962).

(2) The licensing authorities to whom a direction under sub-rule (1) is issued, shall within a period of ten days of the receipt of direction, submit to the claims adjudication authority a detailed report in Form B regarding a licence of the operator.

CHAPTER IV
ADJUDICATION OF CLAIMS

6. Application for compensation. – (1) An application for claim for compensation for nuclear damage shall be made in Form C by -

(a) the person who has sustained injury; or
(b) the owner of the property to which the damage has been caused; or
(c) the representatives of the deceased; or
(d) any agent duly authorised by such person or owner or legal representatives:

Provided that where all the legal representatives of the deceased have not joined in any such application for compensation, the application shall be made on behalf of or for the benefit of all the legal representatives of the deceased and the legal heirs who have not so joined shall be impleaded as respondents to the application.

(2) Every application for compensation for nuclear damage shall be accompanied by as many copies equal to the number of the respondents, as may be required, to the claims adjudication authority having jurisdiction to adjudicate upon it.

(3) There shall be appended to every such application, -

(a) an affidavit of the applicant to the effect that the statement of facts contained in the application is true to the best of his knowledge or belief and further if the applicant has earlier preferred any claim application with regard to the same cause of action, and if so, what was the result thereof;

(b) all the documents and affidavits for the proof thereof, and affidavits in support of all facts on which the applicant relies in the context of his claim, entered in a list of documents and affidavits prepared in that behalf.

Provided that the claims adjudication authority may not allow the applicant to rely in support of his claim, on any document or affidavit not filed with the application, unless it is satisfied that for good and sufficient cause, he was prevented from filing such document or affidavit earlier;

(c) the proof of identity of the applicant to the satisfaction of the claims adjudication authority, unless exempted from doing so for reasons to be recorded in writing by it;

(d) passport size photograph of the applicant duly attested by the advocate;

(e) medical certificates of injuries, or the effect thereof.

(4) The claims adjudication authority may also require the applicant to furnish the following information to satisfy itself that spurious or a collusive claim has not been preferred, namely:-

(a) full particulars of all earlier nuclear incidents in which the applicant or the deceased person, as the case may be, has been involved;
(b) the amount of compensation paid in such earlier nuclear incidents, name and particulars of the victim, and of the person who paid the damages; and
(c) relation of persons mentioned in clause (b), if any with the applicant.

(5) The claims adjudication authority may return any application, which is found defective on scrutiny, to the applicant for re-submission after removing defects within a specified period not exceeding fifteen days.

(6) The claims adjudication authority shall register every application for compensation separately in appropriate register maintained for this purpose.

7. Notice to Opposite Parties.- The claims adjudication authority shall on receipt of an application under rule 6 unless it has been found defective under sub-rule (5) of that rule, send to the opposite parties, a notice of the date on which it will hear the application and call them upon to file on that date a written statement.

8. Supply of copies of documents. -The claims adjudication authority shall along with the notice of hearing furnish the opposite parties, free of cost, a copy of each of the following, namely:-

(i) the application for compensation,
(ii) the documents and affidavits filed by the applicant under rule 6; and
(iii) all the documents produced before it on which the applicant is relying:

Provided that if the claims adjudication authority is satisfied that any such document is voluminous, it shall instead of furnishing the opposite parties a copy

thereof, make an endorsement on the bottom of the notice that they only be allowed to inspect it either personally or through their authorised person.

9. Examination of applicant. - The claims adjudication authority may, on receipt of an application under rule 6, examine the applicant on oath, and the substance of such examination, if any, shall be recorded in writing.

10. Appearance and examination of the parties. - (1) The opposite party shall at or before the first hearing, or within such further time as the claims adjudication authority may allow, file a written statement in reply to the claim raised in the application, and any such written statement shall form part of the record.

(2) The opposite party shall file along with his written statement, all the documents and affidavits for the proof thereof and also affidavits in support of all facts on which he relies in the context of his defence, duly entered in a properly prepared list of documents and affidavits and shall give to the applicant copies of the written statement, documents and affidavits.

(3) The claims adjudication authority shall not allow the opposite party to rely in support of his defence on any document or affidavit not filed along with the written statement, unless it is satisfied that, for good and sufficient cause, he was prevented from filing such document or affidavit earlier.

(4) The claims adjudication authority may, if the opposite party contests the claim or if no written statement has been filed, it shall, proceed to examine him upon the claim and shall reduce the substance of the examination to writing.

(5) The claims adjudication authority may require the opposite parties to furnish the following information, namely:-

(a) full particulars of all earlier nuclear incidents in which such party may have been involved, and in which the claims have been awarded in full or in part;

(b) the amount of compensation paid in such earlier accidents, the name and addresses of the victims and of the persons who paid the damages; and

(c) relation of persons mentioned in clause (b), if any, with the opposite party.

11. Summary procedure by claims adjudication authority. - The claims adjudication authority, in a case pending before it, may adopt the procedure relating to summary trial of the cases as laid down in Order XXXVII of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) while trying a claim for compensation.

12. Power to direct for medical examination.- The claims adjudication authority may, if it considers necessary, direct, in Form D, any medical officer or any board of medical

officers in a Government or Municipal hospital to examine the injured person and issue certificate indicating the degree and extent of the disability, if any, suffered as a result of the nuclear incident, and it shall be the duty of such medical officer or board to submit the report within a period of seven days of receipt of direction.

13. Framing of issues.- The claims adjudication authority shall, after considering the application, the written statements, the examination of the parties, if any, and the result of any local inspection, if made, proceed to frame and record the issues at the first hearing of the application upon which the decision of the case appears to it to depend.

14. Determination of issues. - (1) The claims adjudication authority shall proceed to decide the application after framing an issue if it is triable and allow both the parties to cross examine each other and the deponents whose affidavits have been filed by the parties, on such affidavits filed with the application and the written statement and in doing so, it shall follow provisions of Order XIX of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

(2) The claims adjudication authority may, if it appears to it to be necessary for just decision of the case, allow the parties to adduce such further evidence as each of them may desire to produce:

Provided that no such further opportunity shall be permitted unless it is shown that the affidavit of the witness sought to be examined at such stage could not be obtained and filed earlier, despite exercise of due diligence by, or that such evidence was not within the knowledge of the party relying on it.

15. Expenses for attendance of witnesses. - The claims adjudication authority shall direct the operator to bear the expenses of the witnesses summoned.

16. Method of recording evidence.- The claims adjudication authority shall, as examination of witnesses proceeds, make brief memorandum of the substance of the evidence of each witness and such memorandum shall be written and signed by the claims adjudication authority and shall form part of the evidence:

Provided that evidence of any expert witness shall be taken down word by word.

17. Obtaining of supplementary information and documents.- The claims adjudication authority shall obtain whatever supplementary information and documents, which may be found necessary from the medical and other authorities and proceed to adjudicate upon the claim whether the parties who were given notice appear or not on the appointed date.

18. Award of compensation. - (1) The claims adjudication authority, in passing orders, shall record concisely in a judgment, the findings on each of the issues framed and the reasons for such findings and make an award specifying the amount of compensation to

be paid by the opposite party or parties and also the person or persons to whom compensation shall be paid.

(2) The procedure of adjudicating the liability and award of compensation may be set apart from the procedure of disbursement of compensation to the legal heirs in a case of death, and where the claims adjudication authority feels that the actual payment to the claimant is likely to take some time because of the identification and determination of legal heirs of the deceased, the claims adjudication authority may call for the amount of compensation awarded to be deposited with it, and, then, proceed with the identification of the legal heirs for disbursing payment of compensation to each of the legal heirs equitably.

19. Securing interest of claimants. - (1) Where any lump-sum amount deposited with the claims adjudication authority is payable to a woman, such sum may be invested, applied or otherwise dealt with for the benefit of the woman in such manner as the claims adjudication authority may direct to be paid to any dependent or the heirs of such woman whom the claims adjudication authority thinks best fitted to provide for the welfare of the woman or the heirs of such woman.

(2) Where any lump-sum amount deposited with the claims adjudication authority is payable to a person under legal disability, such sum may be invested, applied or otherwise dealt with for the benefit of the person under legal disability in such manner as the claims adjudication authority may direct to be paid to any dependent or the heirs of such person under legal disability whom the claims adjudication authority thinks best fitted to provide for the welfare of the person under legal disability or the heirs of such person.

(3) Where the claims adjudication authority, on an application made to it in this behalf or otherwise, is satisfied that on account of neglect of the children on the part of the parents, or on account of the variation of the circumstances of any dependent, or for any other sufficient cause, an order of the claims adjudication authority as to the distribution of any sum paid as compensation or as to the manner in which any sum payable to any such dependent is to be invested, applied or otherwise dealt with, ought to be varied, the claims adjudication authority may make such further orders for the variation of the former order as it thinks just in the circumstances of the case.

(4) The claims adjudication authority shall, in the case of minor, order that amount of compensation awarded to such minor be invested in fixed deposits till such minor attains majority:

Provided that the expenses incurred by the guardian or the next friend may be allowed to be withdrawn by such guardian or the next friend from such amount before it is deposited.

(5) The claims adjudication authority shall, in the case of illiterate claimants, order that the amount of compensation awarded be invested in fixed deposits for a minimum period of three years, but if any amount is required for effecting purchase of any movable or immovable property for improving the income of the claimant, the claims adjudication authority may consider such a request after being satisfied that the amount would be actually spent for the said purpose.

(6) The claims adjudication authority shall, in the case of semi-literate person follow the procedure specified in sub-rule (4) for the deposit of award amounts unless it is satisfied, for reasons to be recorded in writing that the whole or part of the amount is required for the expansion of any existing business or for the purchase of some property referred to in that sub-rule in which case the claims adjudication authority shall ensure that the amount is invested for the purpose for which it is prayed for and paid.

(7) The claims adjudication authority may in the case of literate persons follow the procedure specified in sub-rule (4) and (5) for deposit of awarded amount if having regard to the age, fiscal background and state of society to which the claimant belongs and such other consideration, the claims adjudication authority in the larger interest of the claimant and with a view to ensuring the safety of the compensation awarded, thinks it necessary to order.

(8) The claims adjudication authority, in case of personal injury, if satisfied that further treatment is necessary for which reasons to be recorded in writing, may permit the withdrawal of such amount as is necessary for the expenses of such treatment.

(9) The claims adjudication authority shall, in the matter of investment of money, have regard to a maximum return by way of periodical income to the claimant and make it deposited with public sector undertakings of the State or Central Government which offers higher rate of interest.

(10) The claims adjudication authority shall, in investing money, direct that the interest on the deposits be paid directly to the claimant or the guardian of the minor claimant by the institutions holding the deposits under intimation to the claims adjudication authority.

20. Persons Associated with adjudication of claims.- (1) The claims adjudication authority may, for the purpose of deciding any claim filed before it, choose one or more persons having expertise in the nuclear field or such other person possessing special knowledge of any matter relevant to the claim under inquiry to assist in holding such inquiry and adjudicating the claim.

(2) A person associated with the claims adjudication authority under sub-rule (1) shall be paid such remuneration as the claims adjudication authority may, by order, fix.

21 Appearance of legal practitioner - The claims adjudication authority may, in its discretion, allow any party to appear before it through a legal practitioner

22 Adjournment of hearing - If the claims adjudication authority finds that an application cannot be disposed of at one hearing, it shall record the reasons which necessitate the adjournment and also inform the parties present on the date of adjourned hearing.

23 Receipt of compensation - The claims adjudication authority shall, obtain a receipt from the claimant in duplicate, one copy to be issued to the person who makes the payment and the other to be retained on the record while handing over the payment

CHAPTER V
RIGHT OF RECOURSE

24 Right of recourse - (1) A contract referred to in clause (a) of section 17 of the Act shall include a provision for right of recourse for not less than the extent of the operator's liability under sub-section (2) of section 6 of the Act or the value of the contract itself, whichever is less.

(2) The provision for right of recourse referred to in sub-rule (1) shall be for the duration of initial license issued under the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004 or the product liability period, whichever is longer

Explanation 1 - For the purposes of this rule, the expressions,-

(a) "product liability period" means the period for which the supplier has undertaken liability for patent or latent defects or sub-standard services under a contract,

(b) "supplier" shall include a person who-

(i) manufactures and supplies, either directly or through an agent, a system, equipment or component or builds a structure on the basis of functional specification, or

(ii) provides build to print or detailed design specifications to a vendor for manufacturing a system, equipment or component or building a structure and is responsible to the operator for design and quality assurance; or

(iii) provides quality assurance or design services

Explanation 2 - For the removal of doubts it is clarified that an operator's claim under this rule shall in no case exceed the actual amount of compensation paid by him up to the date of filing such claim

CHAPTER VI
MISCELLANEOUS

25. Registers.- (1) The claims adjudication authority shall maintain the following registers namely:-

(a) Register of applications for claim for compensation for nuclear damage;
(b) Register for notices to be issued to the parties by the claims adjudication authority;
(c) Register for applications for interim award;
(d) Register for deposit of payments in the claims adjudication authority; and
(e) Diary of day to day proceedings to be called as 'A Diary'.

(2) Applications for compensation on the ground of death, permanent disability, injury and damage to property shall be entered in a separate register to be called the "Register for applications for compensation on death, disability, etc".

26. Custody and preservation of records.- The documents and records relating to the applications for compensation cases shall be preserved in the record room for a period of thirty five years from the date of occurrence of the nuclear incident.

27. Staff.- The claims adjudication authority shall be provided with staff similar to that provided to the court of an Additional District Judge.

28. Conditions of service and salary and allowances of officers and other employees of claims adjudication authority.- (1) The chairperson of the Commission appointed under sub section (2) of section 20 of the Act shall be entitled to the pay and allowances in the scale of pay equivalent to that of a Judge of a High Court during his service as such chairperson of the Commission.

(2) The Members of the Commission appointed under sub-section (2) of section 20 of the Act shall be entitled to the pay and allowances in the scale of pay equivalent to that of the Additional Secretary to the Government of India during his service as such Member of the Commission.

(3) The Claims Commissioner appointed under sub section (2) of section 9 of the Act shall be entitled to the pay and allowances in the scale of pay equivalent to that of the Additional Secretary to the Government of India.

(4) The other officers and employees shall be entitled to pay and allowances in the scale of pay equivalent to that of the officers and employees of the Central Government holding equivalent posts in their respective cadres during their service under the claims adjudication authority.

(5) The other conditions of service of the officers and employees of the claims adjudication authority in the matters of age of retirement, post-retirement benefits and entitlements and disciplinary matters, shall be the same as are for the time being applicable to the officers and employees of the Central Government holding equivalent posts.

(6) The officers and other employees of the claims adjudication authority shall be entitled to such other facilities, allowances or benefits as may be specified by the Central Government from time to time.

29. Repatriation or transfer of officers and other employees on dissolution of Commission.- (1) On dissolution of the Commission by the Central Government under section 38 of the Act, the officers and other employees who are on deputation to the Commission from any authority or office of the Central Government or a State Government, the deputation of such officers and other employees shall be deemed to be terminated immediately on such dissolution and they shall be repatriated to their parent organisation.

(2) The officers and other employees other than those referred to in sub-rule (1) may be transferred by the Central Government to any other authority or office of the Central Government, as the Central Government may, by order, decide.

30. Annual Report. -The claims adjudication authority shall prepare and submit an annual report in Form E to the Central Government on the duties carried out by it at the end of each financial year giving full account of its activities during that financial year containing details of its accounts, the claims pending before it, the claims disposed of during the year under report and the claims pending at the end of such year.

FORM A

[See rule 5(1)]

BEFORE THE CLAIMS COMMISSIONER/NUCLEAR DAMAGE CLAIMS COMMISSION

(Presided by:_____)

Case No:

TITLE:_____Vs_____

Subject: (i) verification of Registration Certificate of Licence No. _____ in respect of _____valid up to-_____issued by Licensing Authority _____

To,
Licensing Authority

ORDER

Whereas the claim application mentioned above seeking payment of compensation has been preferred before this Claims Commissioner / Nuclear Damage Claims Commission in connection with a nuclear incident allegedly involving the nuclear installation, particulars of which are captioned above;

And whereas, the nuclear installation is stated to have been licensed by office under your control/the licence aforesaid is stated to have been issued by office under your control;

And whereas, the records relating to the said licence are required to be maintained by said officer under your control under the Atomic Energy Act, 1962 (33 of 1962);

And whereas, requisite details relating to the documents aforesaid are required by this Claims Commissioner / Nuclear Damage Claims Commission for the purposes of Inquiry under the provisions of section 16 of the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (38 of 2010) and which information you are bound to furnish.

4109 GI/2011—5

Now, therefore, you are hereby directed to furnish to this Claims Commissioner / Nuclear Damage Claims Commission full particulars regarding the licence aforesaid, with copies of documents in support duly attested under your personal signatures and bearing your official Seal within ten days of the receipt of this communication.

Given under my hand and seal,
this_____ day of

CLAIMS COMMISSIONER / CHAIRMAN, NUCLEAR DAMAGE CLAIMS COMMISSION

FORM B

[See rule 5 (2)]

Report of Licensing Authority

To

Sir,

This is with reference to the order/application dated _____ in Case No. _____Title_____

The requisite information is given below.-

1. Particulars of the operator: Government / other .

(a). If Government, name of the concerned Department / Ministry:

(b). If other, particulars thereof -

(i) Registration No:
(ii) Full name and address of the operator of the nuclear installation:
(iii) Particulars of insurance:

2. Particulars of Licence:
a) Licence No.
b) Date of issue/expiry:
c) Name and address of license holder:
d) Particulars of issuing Authority:

3. Particulars of financial security

(Licensing Authority)

Verified that the contents of above report are correct as per records of this office.

Date:
Place :

Seal of Licensing Authority

(Licensing Authority)

FORM C

[See rule 6(1)]

Application for grant of compensation under the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 (38 of 2010)

BEFORE THE CLAIMS COMMISSIONER/NUCLEAR DAMAGE CLAIMS COMMISSION

(Presided by _____)

_____ Applicant

Vs.

Photograph of Applicant

_____ Respondents

Sir,

The undersigned makes this application for grant of compensation as per the provisions of the Civil Liability for Nuclear Damage Act, 2010 on the basis of the following facts and information :-

1. Name and Father's name of the person injured/dead : (Husband's name in the case of married woman and widow):

2. Full address of the person injured/dead

3. Age of the person injured/dead

4. Occupation of the person injured/dead:

5. Name and address of the employer of the injured/dead:

6. Monthly income of the person injured/dead:

7. Does the person in respect of whom compensation is claimed pay income tax? If so, state the amount of the income tax (to be supported by documents):

8. Brief particulars (Place and date) of the nuclear incident and reference of notification by Atomic Energy Regulatory Board :

9. Name and address of the Medical Officer/ Practitioner :

10. Period of treatment and expenditure, if any incurred :

11. Name and address of the operator of the nuclear installation:

12. Has any claim been lodged with the operator/ Insurer if so, with what result :

13 Name and address of the applicant:

14. Relationship with the deceased/injured:

15. Title of the property of the deceased/injured:

16. Amount of compensation claimed and basis thereof:

17. Whether affidavit of the applicant as per rule is annexed: (give details)

18. Whether documents mentioned in rule 6 are being annexed duly Indexed (give details):

19. Any other information that may be necessary and helpful in disposal of the case:

(To be filled if prayer is made for the interim award)

20. Amount of compensation claimed as interim award:

21. Reasons for claim of interim award:

22. Prayer

Name and signature of applicant

Verification

Verified at _____ this _____ day of _____ 20___, that the contents of the above application are true and correct to my knowledge and belief.

Name and signature of applicant

IndiaCode

FORM D

Direction for Medical Examination
(See rule 12)

BEFORE THE CLAIMS COMMISSIONER/NUCLEAR DAMAGE CLAIMS COMMISSION

Claim Application No._____

TITLE _____ Vs. _____

Photograph of Claimant

To,

ORDER

Whereas the claim application above mentioned seeking payment of compensation has been preferred before this Claims Commissioner / Nuclear Damage Claims Commission in connection with a nuclear incident, and the claimant _____ S/o, D/o, W/o _____

Aged _____ r/o _____

whose photograph bearing his specimen signature/thumb impression is affixed above, is alleged to have suffered injuries as a result of the said incident, which are stated to have been recorded in Medico- legal Certificate No._____ dated _____ issued by _____ (name of hospital), _____ ,

IndiaCode

And whereas for the purpose of inquiry into the claim application, this Claims Commissioner / Nuclear Damage Claims Commission considers it necessary to ascertain the degree and extent of disability, if any suffered as a result of the said nuclear incident by the said claimant;

Now, therefore, in exercise of powers vested in this Claims Commissioner / Nuclear Damage Claims Commission, the undersigned directs you to get the said claimant examined by a Medical Officer/Board of Medical Officers in your Hospital and submit report on above aspects to this Claims Commissioner / Nuclear Damage Claims Commission within seven days of the receipt of this direction.

Given under my name and seal of this Claims Commissioner / Nuclear Damage Claims Commission, this _____ day of _____

CLAIMS COMMISSIONER/NUCLEAR DAMAGE CLAIMS COMMISSION

IndiaCode

FORM E
(See rule 30)

ANNUAL REPORT OF THE CLAIMS COMMISSIONER/ NUCLEAR DAMAGE CLAIMS COMMISSION

(1) A statement of the duties carried out during the year to which the annual report pertains.

(2) A statement of claims pending at the beginning of the year to which the annual report pertains -
- (i) death cases and amount involved
- (ii) injury cases and amount involved
- (iii) damage to property cases and amount involved

(3) A statement of claims filed during the year to which the annual report pertains-
- (i) death cases and amount involved
- (ii) injury cases and amount involved
- (iii) damage to property cases and amount involved

(4) A statement of claims disposed of during the year to which the annual report pertains -
- (i) death cases and amount involved
- (ii) injury cases and amount involved
- (iii) damage to property cases and amount involved

(5) A statement of claims pending at the end of the year to which the annual report pertains -

(i) death cases and amount involved
(ii) injury cases and amount involved
(iii) damage to property cases and amount involved

(6) A statement of accounts for the year to which the annual report pertains.

(7) Any other information as the claims adjudicating authority deems fit.

[No.4/4/1/2010-ER]

VIJAY BHUSHAN PATHAK, Jt. Secy.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.